संख्या :3727 / 23–1–2003–16सा0 / 2003

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री त्रिभुवन राम,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2003

विषय : राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण (चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण) हेतु नीति

प्रिय महोदय,

शासन द्वारा राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण (चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण) हेतु निम्न नीति निर्धारित की गयी है जो उच्चीकरण के सभी कार्यों पर लागू होगी, भले ही वह किसी भी स्त्रोत से वित्त पोषित क्यों न हो लेकिन विश्व बैंक पोषित राज्य सड़क परियोजना के लिये चिन्हित मार्ग इससे आच्छादित नही होंगे।

1.1 मार्गों के उच्चीकरण हेतु निम्नवत् प्राथमिकतायें नियत की जाती है :

(अ) कोर रोड नेटवर्क के अन्तर्गत चिन्हांकित मार्ग।

(ब) जिला एवं तहसील मुख्यालयों को आपस में जोड़ने वाले मार्ग

(स) पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मार्ग।

(द) औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मार्ग। ऐसे मार्गों को प्राथमिकता दी जायेगी जहां सम्बन्धित इकाई सहभागिता के आधार पर उच्चीकरण के लिए वांछित धनराशि का 50 प्रतिशत अंशदान देने के लिए सहमत हो।

(य) राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण होने तक अन्य जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण के कार्य सामान्य तौर पर नहीं लिए जायेंगे जब तक कि वह मार्ग बिन्दु (अ) से (द) में आच्छादित न हो। विशिष्ट क्षेत्रों में अवस्थित अतिरिक्त जिला मार्गों के लिये यह प्रतिबंध अपवादस्वरूप शिथिल किया जा सकता है।

1.2 मार्गों का सुदृढ़ीकरण

1.2.1 जिन मार्गों पर सी0वी0डी0 1500 से अधिक हो तथा वर्तमान नान-पेवमेन्ट मार्ग की चौड़ाई कम से कम 40 सेमी हो उनमें सुदृढ़ीकरण हेतु आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप क्रस्ट देते हुए 50 मिमी (अधिकतम) बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 का कार्य कराया जायेगा।

1.2.2 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मार्गों का सुदृढ़ीकरण डब्लू0एम0एम0 से एवं सतह लेपन $पी_1$ एवं $पी_2$ अथवा 'पीसी' एवं सीलकोट से कराया जायेगा। 'पीसी' का कार्य पेवर से ही कराया जायेगा।

1.2.3 यदि किसी औद्योगिक मार्ग का सुदृढ़ीकरण सहभागिता के आधार पर कराया जा रहा है तो ऐसे मांमलों में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 से सुदृढ़ीकरण आई0आर0सी0 मानकों के अनुसार कराया जा सकता है, भले ही CVD 1500 से कम हो।

1.2.4 यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य ऐसे मार्गों पर कतई नहीं कराया जायेगा जो मानकों के अनुसार पर्याप्त चौड़ाई के न हों अर्थात् बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 से सुदृढ़ीकरण के पूर्व मार्ग को मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण कराना आवश्यक होगा।

1.3 मार्गों का चौड़ीकरण

(अ) 5000 पी0सी0यू0 से कम के मार्ग सिंगल लेन रहेंगे।

(ब) 5000 से 10,000 पी0सी0यू0 तक के मार्ग इण्टरमीडिएट लेन (5.5 मीटर) तक चौड़े किये जायेंगे।

(स) 10,000 पी0सी0यू0 से अधिक यातायात के मार्ग 'डबल लेन' तक चौड़े किये जायेंगे।

2. भविष्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्गों के उच्चीकरण के कार्य उपर्युक्त प्राथमिकताओं के अनुसार ही लिये जायेंगे और प्रत्येक आगणन के साथ अद्यावधिक ट्रैफिक काउन्ट

एवं CVD का उल्लेख आवश्यक होगा जिसके आधार पर ही चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत किये जायेंगे।

3. कृपया सर्वसंबंधित को इन निर्देशों से अवगत कराते हुये इनका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

आलोक सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संo 3727(1)/23-1-2003-16सा0/2003, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ/ उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ ।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजीव कपूर)
सचिव।